

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण सं० अपील/एल.आर./235/2014/इंगरपुर

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, इंगरपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, इंगरपुर।

- अपीलांट्स

बनाम

श्री लक्सी पुत्र श्री कानजी मीणा निवासी भाटपुर तहसील इंगरपुर
जिला इंगरपुर।

- रेस्पोंडेंट



एकलपीठ

श्री प्रियव्रत पंड्या, सदस्य

उपस्थित:

श्री आर.के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
श्री एस.एल.बोहरा, अभिभाषक अप्रार्थी।

--: निर्णय :-

दिनांक: 02-12-2014

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ कैम्प-उदयपुर द्वारा अपील संख्या 06/2013 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 28-10-2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट संख्या-2 के स्वामित्व की भूमि ग्राम मालपुर तहसील इंगरपुर में 46 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। इस भूमि के मध्य रेस्पोंडेंट की आराजी नं० 1312 रकबा 02 बीघा व आराजी नंबर 1313 रकबा 14 बिस्वा कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित होने से अपीलांट उनकी आराजियात के मध्य स्थित रेस्पोंडेंट की भूमि को हॉस्पिटल के निर्माण हेतु

COMPARED BY

